श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2017 को बापू मध्य विद्यालय, बलुआही, खगड़िया में आयोजित बिहार शिक्षा परियोजना, खगड़िया के कार्यों की समीक्षा बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही।

1. सेवापुस्त का सत्यापन :–

गत बैठकों में नियमित शिक्षकों की सेवापुस्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास रखने एवं सेवापुस्त का अद्यतन सत्यापन करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सेवा पुस्त प्राप्ति, सेवापुस्त सत्यापन एवं स्कैनिंग की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित की गयी :–

क्र0	प्रखंड	शिक्षकों की संख्या	प्राप्त सेवा पुस्त
1.	खगड़िया	449	449
2.	अलौली	131	131
3.	चौथम	122	122
4.	मानसी	69	69
5.	बेलदौर	99	99
6.	गोगरी	285	285
7.	परबत्ता	175	175

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी शिक्षकों की सेवापुस्त संधारण एवं स्कैन कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), खगड़िया को उपलब्ध करा दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि माह अप्रैल से अबतक जिन शिक्षकों के विरूद्ध मध्याह्न भोजन योजना सिविल वर्क तथा अनुपस्थिति इत्यादि के कारण निलंबन अथवा अन्य कार्रवाई की गयी है उसकी सूची अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही ऐसे शिक्षकों की सेवा पुस्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को लेकर अगली बैठक में आने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

नियोजित शिक्षकों के सेवापुस्त संधारण, सत्यापन एवं स्कैनिंग के संदर्भ में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा स्थिति निम्नवत् बताई गयी :–

क्र0	प्रखंड	शिक्षकों की संख्या	प्राप्त सेवा पुस्त
1.	खगड़िया	900	845
2.	अलौली	893	784
3.	चौथम	569	566
4.	मानसी	230	230
5.	बेलदौर	565	565
6.	गोगरी	877	857
7.	परबत्ता	640	646

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग सभी सेवापुस्त स्कैन कर लिया गया है। कुछ सेवा पुस्त का स्कैनिंग अभीतक नहीं किया गया है। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो सेवा पुस्त सत्यापन एवं स्कैन करने हेतु बाकी है उसे अविलम्ब सत्यापन एवं स्कैन कराकर उसकी सी0डी0 अविलम्ब डी0पी0ओ0 स्थापना को भेजना सुनिश्चित करें। **निर्णय लिया गया कि जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों की सेवा पुस्त की जांच करायी जायेगी तथा जांच के समय संबंधित कस्टोडियन सेवापुस्तों को लेकर जांच पदाधिकारी के पास आयेंगे एवं जांच करा कर सेवापुस्त लेकर वापस चले जायेंगे।**

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पुनः स्पष्ट निदेश दिया गया कि क्रमशः नियोजित शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों की सेवापुस्त अपने पास रखेंगे एवं उसका सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक की सेवापुस्त में करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खगड़िया जिला (प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) को निदेश दिया गया कि जो शिक्षक फरार हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करें अन्यथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। यदि लम्बी अवधि एवं बिना पुर्वानुमति के शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं एवं उनका वेतन भुगतान कर दिया जाता है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से भुगतान की गयी राशि की वसूली की जायेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड शिक्षक के नियोजन इकाई प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिक्षको के विरूद्ध कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस संबंध में पंचायत एवं प्रखंड नियोजन इकाई यथा–पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की बैठक आयोजित की जा सकती है। उन्हें निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्र0 शि0 पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

2. नियोजित शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाना :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि नियमित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिला दिया गया है।

गत बैठक में प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि यदि कोई शिक्षक अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश में जाने के पूर्व सरकारी अस्पताल के चिकित्सक का Unfit प्रमाण पत्र एवं अवकाश पर से लौटने पर Fit प्रमाण पत्र के आधार पर ही क्रमशः अवकाश पर जाने एवं योगदान की स्वीकृति देंगे। पुनः निदेश दिया गया कि इस निदेश के अनुपालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंडों निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

3. शिक्षकों की प्रोन्नति :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों की प्रोन्नति दे दी गयी है।

4. निरीक्षण :–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने की स्थिति निम्नवत् बताई गई :–

क्र0	प्रखंड	निरीक्षण किये गये विद्यालयों की संख्या	निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों की सं0
1.	खगड़िया	05	02 शिक्षक अनुपस्थित। स्पष्टीकरण पूछा गया है।
2.	परबत्ता	00	राज्य सूचना आयोग गये हैं।
3.	चौथम	12	03 शिक्षक अनुपस्थित। स्पष्टीकरण पूछा गया है।
4.	अलौली	00	राज्य सूचना आयोग गये हैं।

5.	बेलदौर	22	03 शिक्षक अनुपस्थित। वेतन की कटौती की गयी है।
6.	गोगरी	00	राज्य सूचना आयोग गये हैं।
7.	मानसी	09	सभी शिक्षक उपस्थित थे।

गत बैठक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि वे प्रत्येक माह में अपना कार्य व्यौरा समर्पित करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य व्यौरा समर्पित किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि प्राप्त कार्य व्यौरा को अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यो का मासिक मूल्यांकन करें एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर ही उनका वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियाँ अभिलिखित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जून 2017 में अलौली प्रखंड में नियोजित शिक्षकों का स्थानान्तरण प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली के द्वारा प्रखंड शिक्षा स्थापना समिति की बैठक कर के किया गया हैं जिसके फलरूवरूप जिस विद्यालय मे कम छात्र हैं वहाँ अधिक शिक्षक तथा जिस विद्यालय में अधिक छात्र है वहाँ कम शिक्षक हो गये हैं। इससे विद्यालय पठ्न–पाठन असंतुलित हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा स्थापना समिति की उक्त बैठक की कार्यवाही का अध्ययन कर लें तथा उक्त स्थानान्तरण अनियमित तरीके से लाभ पहुचाने के लिए किया गया प्रतीत होने पर एक स्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली के द्वारा माह जून 2017 में नियोजित शिक्षकों का उक्त स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुए स्थान्तरित शिक्षक को अपने पूर्व विद्यालय में बने रहने एवं उनके वेतन का भुगतान पूर्व पदस्थापित विद्यालय के द्वारा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अलौली)

5. विभागीय कार्यवाही :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों को निलंबित किया जाता है उनके विरूद्ध अविलम्ब विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर समय सीमा के अन्दर उसका निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

6. जीविका द्वारा निरीक्षण :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जीविका द्वारा किये गये निरीक्षण पर रोक लगा दी गयी है।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

7. विद्यालयों में पंजी का संधारण :–

बैठक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों द्वारा 15 पंजियों का संधारण किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अगर जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में पंजियों का संधारण नहीं पाया गया तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध ही कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

8. जिले के सभी विद्यालयों में प्रत्येक माह के 15 तारीख को विद्यालय समिति की बैठक का आयोजन :–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निम्न स्थिति प्रतिवेदित की गयी :–

क्र0	प्रखंड	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ VSS बैठक की कार्यवाही प्राप्त हुई है।

				जुलाई 2017
1	अलौली	180		45
2	बेलदौर	140		91
3	चौथम	134		82
4	गोगरी	209		22
5	खगड़िया	215		45
6	मानसी	44		37
7	परबत्ता	140		89
कुल		1062		411

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन विद्यालयों में जानबुझ कर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नही की जा रही है उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी)

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन विद्यालयों में बैठक नहीं हुई है उस विद्यालय में बैठक करने हेतु प्रधानाध्यापक को निदेश दे। साथ ही प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय समिति की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करायेंगे तथा इनके लिए जिम्मेवार माने जायेंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

9. शिक्षकों के वेतन/मानदेय भुगतान :--

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियोजित शिक्षकों को माह अप्रैल 2017 तक का वेतन/मानदेय का भुगतान हो चुका है।

10. मध्याह्न भोजन योजना :--

समीक्षा के क्रम मे DPO, (MDM) ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता बरते जाने पर अबतक 205 विद्यालयों के शिक्षकों (प्रधानाध्यापक) के यहाँ वसूली हेतु 72,31,356 रूपये के विरूद्ध 19.07.17 तक 19,76,607 रूपये की वसूली की जा चुकी है तथा 52,54,749 रूपये वसूली हेतु लंबित है। उन्हें निदेश दिया गया कि शतप्रतिशत राशि वसूली सुनिश्चित करें। जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के वेतन से राशि की वसूली नहीं करते हैं उन्हें वसूली की कार्रवाई मे अभिरूची नहीं लेने एवं दोषी शिक्षक को सहयोग में संलिप्ता मानते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के वेतन से राशि की कटौती की जाय। साथ ही उन्हें यह भी निदेशित किया गया है कि अगली बैठक से प्रतिवेदित माह एवं उसके पूर्व के 05 माह में की गई वसूली के आकड़ें भी प्रतिवेदन में दर्शाना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि BRP के द्वारा कार्य में अभिरूची नही ली जा रही है। DPO, SSA को निदेश दिया गया कि यदि BRP द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं ली जा रही है तो विज्ञापन निकाल कर नये सिरे से नियोजन की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन : सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA)

गत बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना को निदेश दिया गया था कि तीन माह से अधिक अवधि से गायब रहने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को भेजेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीगण भी ऐसे शिक्षकों की सूची जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे कि उनके विरूद्ध कौन सी कार्रवाई की गयी है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया प्राप्त सूची में अंकित नियोजित ईकाई से सूचना प्राप्त करेंगे कि संबंधित

शिक्षक के विरूद्ध उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है तथा अबतक कितने शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई किया गया है। समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि सूची जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि सूची अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना/सभी प्र0 शि0 पदा0)

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जाय।

(अनुपालन-- जिला शिक्षा पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के संबंध में संबंधित नियोजन इकाई को उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना शिक्षा) को निदेश दिया गया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

(अनुपालन-- जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा)

11. छात्रवृत्ति/पोशाक/साईकिल योजना :--

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवंटन को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी है परंतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मात्र अपने बैंक से संबंधित छात्रों के खाते में राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता है एवं अन्य बैंक से संबंधित छात्रों की राशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा वापस कर दी जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवका के द्वारा भी राशि हस्तान्तरण में विलम्ब किया जाता है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक से सम्पर्क कर समाधान निकालें।

(अनुपालन-- जिला शिक्षा पदाधिकारी)

12. आधार कार्ड :--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 2,07,000 बच्चे का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे अलौली प्रखंड के है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों में आधार केन्द्र कार्यरत हैं उसपर छात्रों का भी आधार कार्ड बनबाया जाए।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, RMS--सह-- साक्षरता)

13. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निरीक्षण :--

समीक्षा के क्रम में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा स्थिति निम्नवत् बताई गई :--

क्र0	प्रखंड	निरीक्षण की संख्या
1.	अलौली	01
2.	बेलदौर	01
3.	चौथम	01
4.	गोगरी	01
5.	खगड़िया	00
6.	मानसी	01

7.	परबत्ता	00
	कुल	05

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेलदौर–सह–खगड़िया ने बताया कि कस्तुरबा गाँधी विद्यालय के बच्चे विद्यालय की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया कि वे भी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे एवं विद्यालय की व्यवस्था में आवश्यक सुधार लायेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

DPO, SSA को निदेश दिया गया कि कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदो पर नियुक्ति/नियोजन हेतु विज्ञापन निकालना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– DPO, SSA)

14. <u>शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की जांच :–</u>

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन हेतु चल रही कॉन्सलिंग के सबंध में जांच करें तथा कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का नामांकन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेंगे ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह मई 2017 में निरीक्षण किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे नियमित निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे एवं प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

15. <u>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :–</u>

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालयों के लिए पुस्तक अभीतक प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसके लिए विभाग से पत्राचार करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

16. <u>सर्व शिक्षा अभियान :–</u>

<u>Whatsapp Group बनाना</u> :– समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं का Whatsapp Group बना हुआ है जिसपर अभियंताओं द्वारा परियोजनाओं के निरीक्षण कर फोटो ग्राफ भेजा जाता है इसलिए अपने मोबाईल को भी Whatsapp से लिंक कर लें एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

<u>विद्यालय निर्माण की योजना :–</u> समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा योजनाओं के प्रगति की स्थिति निम्नवत् बतायी गयी :–

<u>अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं नया विद्यालय भवन निर्माण</u> :– समीक्षा के क्रम में DPO, SSA ने बताया कि वर्ष 2015–16 तक कुल आवंटित 5522 कमरों के विरूद्ध अबतक 5296 योजना ली गयी है एवं 4628 योजनाएँ पूर्ण हुई है एवं शेष योजना प्रगति पर है। इसके अलावे नये लक्षित 272 योजनाओं के विरूद्ध 265 योजनाएँ ली गयी है, जिसमे 251 योजनाएँ पूर्ण हुई है एवं 14 योजना प्रगति पर है। उन्हें निदेशित किया गया कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करायें।

गत बैठक में समीक्षा के क्रम में योजनाओं की पूर्णता की स्थिति को असंतोषप्रद पाते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा DPO, SSA को निदेश दिया गया था कि जिले में कार्यरत 04 कनीय अभियंताओं में से जिस कनीय अभियंता का सबसे खराब प्रगति है, उन्हें हटाने का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नये DPO, SSA को निदेश दिया गया कि उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : DPO, SSA)

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में वैसे शिक्षक जिन्हें पूर्व में असैनिक निर्माण कार्यों के लिए धनराशि अग्रिम के रूप में दी गयी है, परन्तु उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं पूर्ण किया गया है उनसे राशि की वसूली करने एवं राशि वापस नहीं करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	प्रखंड	कुल मामले	माह मई–2017 तक में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की संख्या
1.	अलौली		13
2.	बेलदौर		04
3.	खगड़िया		06
4.	परबत्ता		01
5.	चौथम		14
6.	गोगरी		09
7.	मानसी		01

सहायक अभियंता के संबंध में बताया गया कि वे राज्य सूचना आयोग गए हुए हैं। कनीय अभियंता द्वारा बताया कि 67 शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने एवं 25 शिक्षकों के विरूद्ध FIR दर्ज किया जाना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी है उनके विरूद्ध 7 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-- DPO SSA/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

किचेन शेड :–समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया एवं DPO, MDM को निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के द्वारा अभीतक किचेन शेड नहीं बनाया है उनके संबंध में विद्यालयवार निकासी की गयी राशि एवं तिथि की विवरणी तैयार कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करायें एवं जिस शिक्षक के द्वारा किचेन का निर्माण नहीं कराया गया है उनसे 12 प्रतिशत ब्याज (यदि कोई विभागीय आदेश नहीं हो तो) राशि के साथ उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान)

17. अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :–

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के द्वारा प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम समर्पित किया जा रहा है।

18. आस्था आनंद संबंधी मामला :–

विगत बैठकों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आस्था आनंद, इन्टरमीडिएट टॉपर के विरूद्ध थाना में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में वांछित कागजात/अभिलेख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पूर्ण अभिलेख/कागजात गोगरी थाना को दिनांक 25.10.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया था कि आस्था आनंद से संबंधित संचिका बी0आर0पी0 में उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी श्री हरेन्द्र रजक एवं श्री कैलाश चौधरी (सेवा निवृत) से दूरभाष पर बातें की थी तथा उन्होंने

संचिका के संबंध में बताया कि संचिका बी0आर0पी0 कार्यालय में ही होगी। उन्होंने यह भी बताया था कि उस समय बी0आर0पी0 में सुरेन्द्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, चंडी टोला एवं श्री श्रवण चौरसिया, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, मलिया भी थे। गत बैठक में समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ था कि वर्त्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पूर्व उपरोक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा पूर्व कार्यरत दोनों प्रधानाध्यापक द्वारा जांच कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है, अतएव दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में वर्त्तमान एवं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सह–अभियुक्त बनाये जाने का निदेश दिया गया था। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गोगरी प्रखंड को निदेश दिया गया था कि उपर्युक्त दोनों प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान अगले आदेश तक नहीं करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया था कि बी0आर0पी0 के कार्यरत उक्त दोनों प्रधानाध्यापक को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करें।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

गत बैठक में एवं पत्र द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को आस्था आनंद के प्रमाण–पत्र को रद्द करने एवं मेधावृति की राशि वसूल करने के लिए निदेशित किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आस्था आनंद के प्रमाण–पत्र को रद्द करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को लिखा गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पुनः बोर्ड को स्मार पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी)

विगत बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ से आस्था आनंद को 10,000/–रू0 की राशि का चेक नहीं भेजा गया है बल्कि राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, गोगरी से निर्गत किया गया है। पृच्छा पर प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय उ0वि0, गोगरी ने बताया था कि जून 2012 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, गोगरी के खाता में राशि दी गयी थी। यह छात्रा सतीश किसान उच्च विद्यालय, दीनाचकला की थी जो इस विद्यालय से संबद्ध था। **बैठक में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को बैंक खाता संख्या नोट कराते हुए इसकी जांच करने का निदेश दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को स्मार पत्र दें।** साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया था।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस विद्यालय से आस्था आनंद द्वारा फार्म भरा गया था उस विद्यालय को असम्बद्ध करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को पत्र लिखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी)

17. आर्य कन्या उच्च विद्यालय का मामला :–

विगत बैठक में समीक्षा के क्रम में पृच्छा की गयी थी कि आर्य कन्या विद्यालय में अवैध शिक्षकों की नियुक्ति एवं अवैध भुगतान के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है ? पृच्छा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना द्वारा बताया गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश के आलोक में वेतनादि का भुगतान का आदेश दिया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्ध इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें निदेश दिया गया था कि इस मामले में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन सभी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा डी0पी0ओ0

स्थापना के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना ने बताया कि अन्य दोषी के विरूद्ध डाक द्वारा नोटिस निर्गत की गयी थी, परन्तु वो नोटिस वापस आ गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि दोषी के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी)

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 2007 से इन्टर का सम्बंधन से संबंधित विद्यालयों की जांच कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी)

बैठक की विस्तृत कार्यवाही जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा निर्गत की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 1695 /गो0, दिनांक 4.8.17

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना/सर्व शिक्षा अभियान/मध्याह्न भोजन योजना/ शिक्षा स्थापना/माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया जिला/सभी प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया
4/8/17